सं एम (हज)/ 1183/03/2014

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(हज प्रकोष्ठ}

नई दिल्ली, जनवरी 15, 2014

<u>कायार्लय ज्ञापन</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने के लिए निर्देशित किया गया है कि विदेश मंत्रालय एतद् द्वारा हज -2014 के दौरान सेवाएं प्रदान करने के लिए जेद्दा, सऊदी अरब के भारत के महावाणिज्य दूतावास में अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए मुसलमान डॉक्टरों और पराचिकित्सक कर्मचारियों (एलोपैथिक) से (केवल केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अधिकारियों) से आवेदन आमंत्रित करता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 2-3 महीने होगी।

2. पात्रता मानदंड और अन्य नियमों और शर्तें अनुलग्नक 'ए' में हैं, पात्र उम्मीदवारों के आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने आवश्यक हैं।

3. निर्धारित आवेदन प्रपत्र अनुलग्नक "बी" में दिया गया है।

4. आवेदकों के लिए अपने आवेदन के साथ सफेद पृष्ठभूमि के साथ पासपोर्ट आकार के छह फोटो भेजना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों द्वारा उपयोग के लिए पासपोर्ट फार्म और वीजा फार्म की प्रतियां अनुलग्नक "सी" और "डी" में दी गई हैं।

5. चयनित उम्मीदवारों को सरकारी पासपोर्ट के लिए उनके संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) से आवेदन करना चाहिए। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का विवरण वेबसाइटः http://passport.gov.in/ पर उपलब्ध है।

6. विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.mea.gov.in) और भारत के हज समिति की वेबसाइट (www.hajcommittee.com) पर देखा जा सकता है

7. प्रतिनियुक्तों का चुनाव उनकी सेवा की अवधि, अनुभव और कार्यसाधक ज्ञान जैसे कि, क्षेत्रीय भाषाओं के ज्ञान, जन संपर्क में अनुभव इत्यादि के आधार पर किया जाएगा। उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन पर मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

8. संबंधित राज्य के स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा विधिवत अग्रेषित आवेदन निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं: हज प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, आईएसआईएल भवन, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-01। अग्रेषण प्राधिकरण

कृपया सुनिश्चित करे कि आवेदन के स्तंभ 5, 6, 7 और 10 में दी गई जानकारी की पुष्टि करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ विधिवत हस्ताक्षरित एक अलग प्रमाण पत्र संलग्न है।)

9. मंत्रालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **14 मार्च 2014** है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि मंत्रालय में आवेदन नियत तारीख से पहले पहुँच जाएं। **नियत तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(भारत सरकार के उप सचिव)

ई-मेल:dirhaj@imea. gov.in

1. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को।
2. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को,
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली,
4. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण भवन, नई दिल्ली;
5. सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली;
6. गृह मंत्रालय/संचार/श्रम/रक्षा के मंत्रालय, नई दिल्ली

जानकारी के लिए प्रति:

1. भारतीय दूतावास, रियाद;
2. सीजीआई, जेद्दा;
3. डीएस (एसएफपी) और यू एस (पीएफ), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली;
4. सीईओ, भारत की हज समिति, मुंबई और सभी राज्य की हज समितियों को

अनुलग्नक"ए"
चिकित्सा मिशन

विदेश मंत्रालय
(हज प्रकोष्ठ)
जेद्दा, सऊदी अरब हज - 2014 के लिए
भारतीय महावाणिज्य दूतावास के लिए डॉक्टरों और पराचिकित्सक कर्मचारियों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और नियम और शर्तें

टिप्पणी: सभी आवेदनों को संबंधित राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। सीधे भेजे जाने वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। आवेदकों का ध्यान भी, सीसीएस (आचरण नियम), 1964 की धारा 20 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो कहता है, **"कोई सरकारी कमर्चारी सरकार के अधीन अपनी सेवा के संबंध में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए ऊपरी प्राधिकरण पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं लाएगा या लाने की कोशिश नहीं करेगा।" मंत्रालय उपर्युक्त खंड का उल्लंघन करने वाले आवेदकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।**

क) श्रेणी "आवेदन करने की जरूरत नहीं है"

• वरिष्ठ पदों को धारित करने वाले डॉक्टरों या प्रोफेसर/रीडर, चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षकों के रूप में काम करने वालों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एनेस्थेटिस्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञानियों को भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है। यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

• सहायक नर्स/धात्रियों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

• जो आवेदक अतीत में तीन या उससे अधिक बार प्रतिनियुक्त किए जा चुके हैं, वे पात्र नहीं हैं। यह शर्त डॉक्टरों और महिला फार्मासिस्टों पर लागू नहीं होती।

ख) पात्रता की शर्तें:
डॉक्टरों के लिए:

• आवेदक को वर्तमान समय में केन्द्रीय या राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में सेवारत होना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हालांकि, कम से कम 3 साल का अनुभव रखने वाले आवेदकों की संख्या पर्याप्त नहीं होने पर 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव रखने वाले आवेदकों पर भी विचार किया जा सकता है। चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने वाले डॉक्टरों को वरीयता दी जाएगी।

• **केवल एलोपैथिक डॉक्टर:** जनरल प्रैक्टिशनर (न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस), विशेषज्ञ, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, हड्डी रोग, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, ईएनटी सर्जन, टीबी और छाती, मनोचिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों, त्वचा विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञों को आवेदन करने की जरूरत है।

• **01.07.2014 को** आवेदक की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (जन्म तिथि के समर्थन में आवेदक को मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)

पराचिकित्सकों के लिए:

• आवेदक के पास नर्सिंग/ईसीजी/लैब, तकनीशियन में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदक को वर्तमान समय में केन्द्रीय या राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में सेवारत होना चाहिए और न्यूनतम पांच साल की सेवा का अनुभव होना चाहिए।
• फार्मासिस्टों के पास बी फार्मा की डिग्री/डिप्लोमा होनी चाहिए।

• **01.07.2014 को** आवेदक की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (जन्म तिथि के समर्थन में आवेदक को मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)

• आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और सऊदी अरब की कठोर जलवायु और जीवन स्थितियों और लंबे कार्य घंटों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए।
• आवेदक को अपने कैडर में एक स्थायी पद धारित करना चाहिए।

ग) वांछनीय योग्यता:

• अरबी और क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को पर्याप्त तरजीह दी जाएगी।

• हृदय रोग विशेषज्ञों, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ और चिकित्सक जैसे विशेषज्ञों को पर्याप्त तरजीह दी जाएगी। हालांकि, प्रोफेसर, अस्पतालों के निदेशकों और वरिष्ठ पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एनेस्थेटिस्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञानियों को भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

घ) वेतन एवं भत्ते:
• सीजीआई, जेद्दा में भारत के सीजीआई के समकक्ष रैंक के कर्मचारियों के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, मूल वेतन, एचआरए और सीसीए तथा विदेश भत्ता स्वीकार्य है, जिसका सीजीआई, जेद्दा द्वारा भुगतान किया जाएगा।
• सीजीआई, जेद्दा में प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए कोई दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।
• प्रतिनियुक्तों को जेद्दा जाने और वापस लौटने के लिए इकोनॉमी क्लॉस का हवाई टिकट प्रदान किया जाएगा।

• चयनित उम्मीदवार 20 किलोग्राम के सामान्य सामान भत्ता के हकदार होंगे।

• प्रतिनियुक्तों को साझा करने के हक के आधार पर आवास मुहैया कराया जाएगा।

• चुने गए अधिकारी रवाना होने से पहले तैयारी/शामिल होने के लिए आठ दिनों का समय पाने के हकदार होंगे। प्रतिनियुक्ति से वापस आने के लिए शामिल होने/तैयारी के लिए कोई समय स्वीकार्य नहीं है।

• दिल्ली में विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए किसी वाहन भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

• जेद्दा तक और वापसी के लिए हवाई यात्रा के खाते में किये गये व्यय का विदेश मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

• सऊदी अरब में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वेतन, तैयारी के समय और आवास के लिए किये गए व्यय का सीजीआई, जेद्दा द्वारा वहन किया जाएगा।

ङ. तैनाती और प्रतिनियोक्तों के कर्तव्य:

• भारतीय हज यात्रियों के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्तों को मक्का और मदीना, जेद्दा में हज टर्मिनल, मीना और अराफात के शिविरों आदि विभिन्न शाखा कार्यालयों में तैनात किया जाएगा।

• उन्हें जेद्दा के भारतीय महावाणिज्य दूत की समग्र देखरेख और दैनिक दिशा-निर्देश पर कार्य करना होगा।

• चयनित प्रतिनियुक्तों को प्रतिनियुक्ति की पूरी अवधि के दौरान 24 घंटे ड्यूटी पर माना जाएगा। उन्हें तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिए कार्य आवंटित किया जाएगा।

च) <u>सामान्य शर्तें:</u>

• अगर चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर हज प्रकोष्ठ में रिपोर्ट नहीं करता है, तो रिपोर्ट न करने वाले उम्मीदवार को किसी भी नोटिस भेजे बिना प्रतीक्षा सूची से अगले उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा।

• अगर आवेदक द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है तो उम्मीदवार को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संबंधित विभाग से उम्मीदवार के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।

• चयनित अधिकारियों को अपने स्वयं के खर्च पर भी पति या पत्नी सहित उनके परिवार के किसी भी सदस्य को साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• चयनित डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ को अपना निजी स्टेथोस्कोप और सफेद एप्रन साथ ले जाना चाहिए।

• प्रतिनियुक्तों को मीडिया से बात करने के लिए अनुमति नहीं है। इस शर्त के उल्लंघन का परिणाम तत्काल वापसी और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

• प्रतिनियुक्तों को हमेशा नागरिक कपड़ों में रहना चाहिए।

• प्रतिनियुक्ति के दौरान प्रतिनियुक्तों की सेवाएं जेद्दा, के भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधीन रहेंगी।

• प्रतिनियुक्तों को सौंपे गए कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से पालन करने में विफलता, तत्काल स्वदेश वापसी के लिए भारत आने और उसकी (पुरुष/महिला) प्रतिनियुक्ति पर खर्च किए गए सरकारी पैसे की आंशिक या पूर्ण वसूली सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण हो सकती है।

• इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी प्रतिनियुक्त को साप्ताहिक छुट्टी के बिना 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात माना जाएगा और इसलिए, विशेष रूप से हज की मुख्य अवधि के दौरान उनसे देर तक अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने की उम्मीद की जाती हैं। सामान्य स्वीकार्य विदेश भत्ते को छोड़कर दुबारा कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक या मुआवजा देय नहीं होगा।

अनुलग्नक "ख"
केवल चिकित्सा मिशन
केवल उचित चैनल के माध्यम से

विदेश मंत्रालय
(हज प्रकोष्ठ)

हज -2014 के लिए भारतीय चिकित्सा मिशन में सऊदी अरब के लिए अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र। आवेदन को विधिवत हस्ताक्षर किए संलग्न प्रमाण पत्रों सहित उचित माध्यम से भेजा जाना चाहिए। सीधे भेजे गए या संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से प्रमाण पत्र के बगैर भेजे गए आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा। आवेदन टाइप किया हुआ या केवल छापे के अक्षरों में हस्तलिखित होना चाहिए। सभी स्तंभों को पूरी तरह से भरे जाने की जरूरत है। अधूरे आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।

अपना वर्तमान फोटोग्राफ चिपकाएं

क्रम सं.		
1	नाम	
2	पिता का नाम	
3 (क)	पदनाम	
(ख)	कार्यालय का पता (फोन नं. सहित)	
4 (क)	वर्तमान में धारित पद	
(ख)	अस्थाई/स्थाई	
5 क.	जन्म-तिथि (मैट्रिक का विधिवत अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें,)	
ख.	01 जुलाई 2014 को आयु	
6	वेतनमान और वर्तमान मूल वेतन	
7	सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	
8	व्यवसायिक योग्यता	

<table>
<tr><td>9</td><td>विशेषज्ञता का क्षेत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>सीजीआई जेद्दा में प्रतिनियुक्त के पद सहित भारतीय चिकित्सा मिशन में पिछली सभी प्रतिनियुक्तियों का विवरण और पदनाम व तैनाती की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>ज्ञात भाषा (अरबी के अलावा अन्य)
(कृपया √ चिन्ह लगाएं)</td><td><table>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>पढ़ना</td><td>लिखना</td><td>बोलना</td><td>पढ़ना</td><td>लिखना</td><td>बोलना</td><td>पढ़ना</td><td>लिखना</td><td>बोलना</td><td>प
ढ़
ना</td><td>लि
ख
ना</td><td>बो
ल
ना</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12</td><td>मातृभाषा</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>अरबी का ज्ञान</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>घर का स्थायी पता</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>वर्तमान पता/ डाक पता</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>सम्पर्क का विवरण</td><td>(कार्यालय)
(आवास)
फैक्स
मोबाइल</td></tr>
<tr><td>17</td><td>ई-मेल आईडी (आवेदक के पास एक वैध ई-मेल आईडी होना आवश्यक है)</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>निकटतम पासपोर्ट कार्यालय का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>कोई भी अन्य प्रासंगिक जानकारी</td><td></td></tr>
</table>

प्रमाणपत्र

- मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है। मैंने नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है और जेद्दा (सऊदी अरब) में भारत के महावाणिज्य दूतावास में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान उनका पालन करने का वचन देता हूँ।
- मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं हृदय की किसी बीमारी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अस्थमा से ग्रस्त नहीं हूँ।

- मैं वचन देता हूँ कि मैं तीर्थयात्रियों के लिए की गई सेवाओं के लिए उनसे कोई पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करूँगा।
- मैं यह भी वचन देता हूँ कि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, मैं हज यात्रा नहीं करूँगा।

तारीखः **आवेदक के हस्ताक्षर ....**

चेतावनी

i) पूर्व की प्रतिनियुक्ति की संख्या के संबंध में किसी जानकारी और जन्म तारीख को छिपाना या गलत रूप से देना उसके आवेदन की अस्वीकृति के अलावा आवेदक अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

ii) अपूर्ण आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii) यदि स्तंभ 5, 6, 7, 8, 9 एवं 11 में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक केंद्रीय सिविल सेवा (केंद्रीय सिविल सेवा)/आचरण नियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

iv) संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में प्रतिनियुक्ति के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएगीं।

v) सीसीएस (आचरण नियम), 1964 की धारा 20 की तरफ भी आवेदकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है,जिसका कहना है, "कोई सरकारी कमर्चारी सरकार के अधीन अपनी सेवा के संबंध में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए ऊपरी प्राधिकरण पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं लाएगा या लाने की कोशिश नहीं करेगा।" मंत्रालय उपर्युक्त खंड का उल्लंघन करने वाले आवेदकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

<u>(अनुलग्नक 'ख' के संलग्नक)</u>

<u>काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उसके लेटर हेड पर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है (केवल छापे के अक्षरों में)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार डॉक्टर/श्री/सुश्री .... की जन्म तिथि .... है। अनुसार उनका वर्तमान पद .... है।

वे .... को सरकारी सेवा में शामिल हुए/हुई हैं।

वे .... रुपए के वेतनमान में स्थायी/अस्थायी अधिकारी हैं और सऊदी अरब में निम्नलिखित वर्षो में प्रतिनियुक्ति पर थे।

(1) (2) (3)

तीन बार से अधिक/कभी नहीं

वह (पुरुष/स्त्री) भारत, जेद्दा के महावाणिज्य दूतावास में अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र है। उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है।

हस्ताक्षर ....
नाम व मुहर के साथ पदनाम ....
दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ).................
फैक्स संख्या (एसटीडी कोड के साथ)..............
ईमेल पता :...

(अगर प्रस्तुत की गई जानकारी को गलत पाया जाता है तो नियंत्रण प्राधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।)

1 जनवरी 2007 से प्रभावी

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट जारी करने के लिए के लिए आवेदन

अपना हाल का रंगीन फोटो चिपकाएं (आकार, 3.5 x 3.5 सेमी, वर्दी में नहीं) और एक और फोटोग्राफ पीछे की तरफ विधिवत अभिप्रमाणित कर लगाएं।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के मामले में अंगूठे का निशान (पुरुष के लिए बाएँ और महिला के लिए दाएँ)

सभी प्रविष्टियां काली स्याही के बॉल प्वाइंट पेन से बड़े अक्षरों में की जाएं। दो फोटोग्राफ के साथ, केवल एक आवेदन वांछित है। 5 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के बच्चे के लिए हस्ताक्षर करना आवश्यक है। प्रत्येक मदों को भरना अनिवार्य है। अधूरे प्रपत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

1. पासपोर्ट पर लिखे आवेदक का नाम (पहला अक्षर/श्री/श्रीमती/स्वर्गीय आदि लिखने की अनुमति नहीं है।

उपनाम																												

दिया गया नाम																												

\

टिप्पणी : उपनाम और नाम को अलग पंक्तियों में संकेतित किया जाए। यदि आवेदक उपनाम को अलग से निर्दिष्ट नहीं करना चाहता है, तो कृपया उपनाम की पंक्ति को काट दें और दिया गया नाम की पंक्ति में सामान्य नाम लिखें।

(कृपया आवेदक/अग्रेषण अधिकारी के पहचान पत्र की एक फोटो प्रति संलग्न करें)

2. लिंग 3. **जन्म की तारीख:** दिन महीना वर्ष

पुरुष □ महिला □ □□ □□ □□□□

4. **जन्म-स्थान :**

गांव/नगर

जिला/राज्य/देश

5. पिता का नाम (पहला नाम-मध्य नाम- उपनाम, इस क्रम में) (प्रथमाक्षर / श्री / श्रीमती/स्वर्गीय आदि लिखने की अनुमति नहीं है)

6. माता का नाम (पहला नाम-मध्य नाम- उपनाम, इस क्रम में) (प्रथमाक्षर/श्री/श्रीमती/स्वर्गीय लिखने की अनुमति नहीं है)

7. पति या पत्नी का नाम (पहला नाम-मध्य नाम- उपनाम, इस क्रम में) (प्रथमाक्षर/श्री/श्रीमती/स्वर्गीय लिखने की अनुमति नहीं है)

8. वर्तमान आवासीय पता, पिन कोड और स्ट्रीट नंबर सहित

दूरभाष सं. मोबाइल सं.

9. पिन कोड के साथ स्थायी पता (यदि स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही हो तो केवल 'पूर्वोक्त' लिखें)

10. पिछले पासपोर्ट का विवरण) धारित या जिसके लिए आवेदन किया गया हो (यदि कोई हो)। (एक से अधिक पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त पत्र संलग्न करें।)

पासपोर्ट नम्बर												

दिन महीना वर्ष

जारी करने की तारीख								

जारी करने का स्थान												

11.

सरकारी कार्य पर दौरा किए जाने वाले देश	जिन देशों से गुजरना हो	उद्देश्य और यात्रा की अवधि

दिनांकः................. (आवेदक या उसके अवयस्क होने की स्थिति में माता-पिता के हस्ताक्षर)

स्थानः..................

<u>प्रमाण पत्र</u>

12. (क) मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सरकारी ड्यूटी पर विदेश जा रहा/रही है, जैसा कि ऊपर मद 12 में संकेतित किया गया है।

(ख) मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... की पत्नी/पुत्र/पुत्री/पिता/ घरेलू नौकर के रूप में सरकारी ड्यूटी पर विदेश में जा रहा/रही है, जैसा कि ऊपर मद 12 में संकेतित किया गया है।

13. क्या आप सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय में कार्यरत्त हैं (हां/नहीं)

(जो लागू न हो, उसे काट दें)

14. अधिकारी का वेतनमान ग्रेड वेतन रुपये .... है।

[कार्यालय के प्रमुख के हस्ताक्षर]

निर्देश: -

1. सभी प्रविष्टियां काली स्याही के बॉल प्वाइंट पेन से बड़े अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। दो तस्वीरों के साथ केवल एक आवेदन आवश्यक है। 5 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के बच्चे के लिए हस्ताक्षर करना आवश्यक है। प्रत्येक मद को भरना अनिवार्य है। अधूरा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. कृपया अपने कार्यालय से वैध सामान्य पासपोर्ट (यदि हो) का मूल सुरक्षित अभिरक्षा प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि आवेदक द्वारा धारित राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट पहले से विदेश मंत्रालय की सुरक्षित संरक्षण में है, मूल प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

3. सरकारी/राजनयिक/सामान्य पासपोर्ट जो लगभग 10 वर्ष या उससे अधिक का है (जारी होने की तारीख से) उसे रद्द करने के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4. जो आवेदन की तारीख से छह महीने से कम समय में सरकारी रूप से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उन्हें इस आशय का एक वायदा करना होगा कि वह (पुरुष/महिला) अपने कार्यालय से प्राप्त सरकारी/राजनयिक पासपोर्ट को अपनी वापसी के तुरंत बाद अपने कार्यालय को वापस कर देगा/देगी।

फोटो

सऊदी अरब दूतावास
वाणिज्यिदूत अनुभाग

पूरा नाम								
माता का नाम								
जन्मतिथि	जन्म स्थान							
पिछली राष्ट्रीयता	वर्तमान राष्ट्रीयता							
लिंग: स्त्री पुरुष								वैवाहिक स्थिति
जाति			धर्म					
जारी करने का स्थानः	योग्यता:		व्यवसाय:					
घर का पता और टेलीफोन नम्बर								
व्यवसायिक पता और टेलीफोन नम्बर								
यात्रा का उद्देश्य	काम	ट्रांजिट	भेंट	उमरा	निवास	हज	कूटनीति	
:								
जारी करने का स्थानः पासपोर्ट की समाप्ति की तारीख:	पासपोर्ट जारी करने की तारीखः						पासपोर्ट नंबरः	
राज में रहने की अवधि:	आगमन की तारीख:		प्रस्थान की तारीख:					
भुगतान की विधि:	( )नि:शुल्क ( )नकद:		( )चैक नं.: ( )		( )नम्बर		( )दिनांक	
रिश्ता:								
गंतव्य:		कैरियर का नाम:						
एक ही पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले आश्रित:								

संबंधः	जन्म तिथि:	लिंगः	पूरा नामः

राज की कंपनी और निवासी का नाम और पता:

अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा प्रमाणित करता है कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही हैं।
मैं अपने निवास की अवधि के दौरान राज के कानूनों का पालन करूँगा।
दिनांक: *हस्ताक्षर:* *नाम:*

केवल सरकारी उपयोग के लिए:

दिनांक:	*प्राधिकरण:*	
भेंट/कार्य के लिए:		
दिनांक:	*वीजा संख्याः*	
एकत्रित शुल्क:	*प्रकार:*	*अवधि:*